Email: acri.jaipur@gmail.com
acri-jaipur@nic.in.

EPABX: 0141 – 2281812
Telefax: 0141 - 2282618

म.शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान

इन्दिरा कालोनी, बनीपार्क, झोटवाडा रोड, जयपुर - 302016
(अधीनस्थ केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार)

M.S. Regional Ayurveda Research Institute for Endocrine Disorders

Indira Colony, Banipark, Jhotwara Road, Jaipur – 302016
(Under C.C.R.A.S., Ministry of AYUSH, Government of India)

फा.सं. 1–2/2003–आ.के.अनु.सं./जेपीआर/प्रशा./पार्ट IV/5653 दिनांक 19.11.2018

निविदा सूचना

संस्थान में हाउस कीपिंग हेतु बाह्य स्रोत माध्यम से **सफाईकर्मी एवं सफाई सामग्रीं** उपलब्ध कराने हेतु रजिस्टर्ड फर्म/एजेंसियों से (जो कि ई.एस.आई, गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) के दायरे में आती हों तथा जिन्हें राजकीय कार्यालयों, बोर्ड, निगमों में न्यूनतम 02 वर्ष का सफाई कार्य करने का अनुभव हों) निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदायें प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 03.12.2018 को दोपहर 02:00 बजे तक है। प्राप्त निविदायें उक्त दिनांक को दोपहर 03:00 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी परिषद् की वेबसाईट www.ccras.nic.in तथा www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है।

19.11.18
(डॉ. के.के. सिंह)
प्रभारी, सहायक निदेशक

Tender Cost Rs. 500/-
By Cash/Download

म.शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान

इन्दिरा कालोनी, बनीपार्क, झोटवाडा रोड, जयपुर - 302016

(अधीनस्थ केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार)

M.S. Regional Ayurveda Research Institute for Endocrine Disorders

Indira Colony, Banipark, Jhotwara Road, Jaipur – 302016

(Under C.C.R.A.S., Ministry of AYUSH, Government of India)

निविदा प्रपत्र

1. निविदा दाता फर्म/एजेंसी का नाम व पता (ई–मेल/दूरभाष सहित): ....

....

....

....

....

....

2. विषय निविदा जिस कार्य/वस्तु के लिए दिया जा रहा है उसका नाम..

3. निविदा शुल्क की राशि रूपये .... का डिमाण्ड ड्राफ्ट/संस्थान रसीद नम्बर (छायाप्रति संलग्न) .... दिनांक ....द्वारा जमा करा दिये गये है।

4. आयकर व बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है/नहीं है।

5. फर्म का ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र संलग्न है/नहीं है।

6. फर्म का गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र संलग्न है/नहीं है।

7. धरोहर राशि .... रू. डिमाण्ड ड्राफ्ट नं. .... दिनांक .... के द्वारा प्रभारी सहायक निदेशक, महाराव शेखाजी आयुर्वेद अन्तःस्त्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान, जयपुर में जमा करा दी है।

लगातारः.......2

9. सफाई कर्मियों एवं सफाई सामग्रीं के लिए वित्तीय बोली:

क्र.सं.	विवरण	दर	(राशि रू. में)
1.	**04 सफाई कर्मियों हेतु नियत (Fixed) मासिक पारिश्रमिक** (लेकिन तत्समय भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की न्यूनतम निर्धारित दर से कम नहीं होनी चाहिए)	16,000/– प्रति माह प्रति सफाईकर्मी	64,000/–
2.	निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न निविदा की प्रमुख शर्ते एवं सफाई कार्य का विवरण में क्रम संख्या 16 पर दर्शायी गयी सफाई सामग्रीं की मात्रा के अनुसार सफाई सामग्रीं का मूल्य		
3.	सर्विस चार्ज की दर एवं राशि		
4.	ई.एस.आई., की नियमानुसार तत्समय प्रचलित दर एवं राशि	4.75 प्रतिशत	
5.	जी.एस.टी. नियमानुसार		
	कुल राशि –		

10. मै/ हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तो एवं कार्य के विवरण को स्वीकार करते है और इससे बाध्यकारी रहुँगा/रहेंगे।

फर्म का नाम ....

पता ....

....

(सूचक मय रबड़ स्टाम्प)

स्थान ....

दिनांक ....

निविदा दाता (प्राधिकृत) के हस्ताक्षर

म.शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान

इन्दिरा कालोनी, बनीपार्क, झोटवाडा रोड, जयपुर - 302016

(अधीनस्थ केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार)

<u>निविदा की प्रमुख शर्ते एवं सफाई कार्य का विवरण :–</u>

1. सफाई कार्य हेतु निविदा मोहर बन्द लिफाफे में दिनांक 03.12.2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक प्रभारी, म. शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान, जयपुर के कक्ष में पहुंच जानी चाहिए। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों मे ''<u>सफाई कार्य हेतु निविदा</u>'' अंकित किया जाये। प्राप्त सभी निविदाये संस्थान की अधिकृत समिति द्वारा दिनांक 03.12.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे संस्थान के सभाकक्ष में खोली जायेगी।
2. निविदा प्रपत्र रू. 500/– (रू. पांच सौ मात्र) निविदा शुल्क जमा कर दिनांक 01.12.2018 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक संस्थान कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र परिषद् की वेबसाइट www.ccras.gov.in से डाउनलोड करने पर निविदा शुल्क रू. 500/– का डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ M.S.Regional Ayurveda Research Institute for Endocrine Disorders, Jaipur के नाम पर संलग्न करना आवश्यक है।
3. निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि (ई.एम.डी.) के रूप में संस्थान के नाम M.S.Regional Ayurveda Research Institute for Endocrine Disorders, Jaipur रू. 20,000/– का डिमान्ड ड्राफ्ट जमा करवाना आवश्यक है, अन्यथा निविदा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि किसी निविदादाता को धरोहर राशि जमा कराने में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से छूट प्राप्त हो तो निविदा के साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. सफल निविदादाता को कुल वार्षिक अनुबन्ध राशि की 10 प्रतिशत अमानत जमा (Security Deposit) के रूप में संस्थान में डिमान्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करानी होगी, जिसमें ई.एम.डी. राशि रू. 20,000/– समायोजित की जा सकेगी। अमानत जमा राशि अनुबन्ध अवधि तक संस्थान में जमा रहेगी तथा इस पर कोई ब्याज देय नही होगा। अनुबन्ध के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर दण्डनात्मक तौर पर निर्धारित की गई राशि अमानत जमा राशि में से काटी जायेगी।
5. निविदादाता द्वारा सेवा शुल्क (Service Charge) शून्य/निल/अव्यवहारिक प्रतिशत दर देने पर निविदा विचार योग्य नही होगी।
6. निविदादाता द्वारा सेवा शुल्क (Service Charge) प्रतिशत दरो (दशमलव के पश्चात् दो अंको से अधिक अंको में मान्य नहीं होगा) में ही देना होगा। फर्म/एजेन्सी द्वारा अन्य किसी रुप में दरे दर्शाने पर निविदा विचार योग्य नही होगी।
7. <u>संस्थान परिसर</u> के समस्त तलों पर स्थित कक्षों, कॉरीडोर, वार्डो, पंचकर्म कक्षों, ऑपरेश कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सभाकक्ष इत्यादि सभी की फर्श आदि की सफाई के लिये झाडू एवं फिनाइल युक्त पानी का पोंछा प्रति दिन दो बार प्रातः 7.00 बजे से 9.00 बजे तक एवं दोपहर 1.00 बजे से 3.00 बजे तक लगाना होगा।
8. भवन में स्थित शौचालयों एवं स्नानघरों की टाइल्स सहित सफाई व धुलाई का कार्य प्रतिदिन करना होगा। इस कार्य हेतु वाशिंग पाउडर का घोल, फिनाइल एवं नमक का तेजाब, हार्पिक आदि का प्रयोग किया जायेगा। यूरिन पोट्स में सतत् रूप से नैप्थलीन की टिकिया रखनी होगी। शोचालयों में सतत् रूप से ओडिनील भी रखनी होगी।

लगातार.....2

9. भवन में स्थित समस्त वाशबेसिनों पर अच्छी किस्म का हाथ धोने का साबुन प्रतिदिन उपलब्ध कराना होगा एवं संस्थान में स्थित नालियों की सफाई प्रतिदिन करनी होगी।
10. भवन के मुख्य द्वार के बाहर फुटपाथ एवं सडक की सफाई प्रतिदिन करनी होगी।
11. भवन के समस्त कमरों के दरवाजों, खिड़कियों के शीशे एवं लिफ्ट के दरवाजों व फर्श, कुर्सियों, टेबलों, आलमारियों रेक आदि की सफाई नियमित रूप से करनी होगी।
12. भवन की खिड़कियों पर लगे हुऐ वैनेशियन ब्लाइण्डस की सफाई ब्रुश द्वारा करनी होगी एवं अधिकारियों एवं विशिष्ट कक्षो में रखे हुए सोफासेट्स की सफाई प्रति सप्ताह ठेकेदार द्वारा स्वयं के वैक्यूम क्लीनर द्वारा की जायेगी।
13. भवन की छतों पर स्थित पानी की टंकियो की सफाई माह में एक बार करनी होगी। पानी की टंकियों में पोंटेशियम परमेग्नेट भी डालना होगा।
14. भवन के समस्त कमरों, कोरिडोर एवं पोर्च आदि में स्थित ट्यूबलाइटों, फिक्सर्चस पंखो एवं दीवारों पर लगे आलों मे मिट्टी एवं धूल, जाले आदि की सफाई सप्ताह में एक बार करनी होगी।
15. भवन की छत की सफाई माह में दो बार करनी होगी।
16. सफाई के पश्चात् एकत्रित कूड़ा एवं कचरे को भवन परिसर के बाहर उस स्थान पर डाला जायेगा जहां से नगर निगम द्वारा कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था हो।
17. सफाई कार्य में उपयोग में आने वाली सामग्री की न्यूनतम मात्रा प्रत्येक माह हेतु उपलब्ध करानी होगी जो कि निम्नानुसार है :–

    फिनाइल–60 लीटर, हाथ धोने का साबुन (छोटा)– 75 नग, नमक का तेजाब– 30 लीटर, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर– 30 बोतल (एक लीटर), नेप्थलीन की गोलियां–10 पैकेट, ऑडोनिल–24 टिकिया (बडी), वाशिंग पाउडर–20 किग्रा. तथा आवश्यकतानुसार झाडू पोंछा, डस्टर, ब्रुश आदि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी एवं सामग्री का स्टॉक हमेशा रखना होगा। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री अथवा यंत्र की व्यवस्था नहीं की जायेगी।
18. सफाई में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री अच्छी किस्म/ब्राण्ड़ की होनी चाहिये तथा उसे प्रयोग में लाने से पूर्व इस कार्य हेतु कार्यालय द्वारा गठित सफाई समिति से सत्यापन कराना होगा।
19. सफल निविदादाता को प्रत्येक कर्मचारी को एकान्तर (**Rotational**) क्रम में साप्ताहिक अवकाश देना होगा। सफाई कर्मियों की संख्या कम होने की दशा में उनके पारिश्रमिक में अनुपातिक कटौती की जावेगी। निविदादाताओं को राजकीय कार्यालय, बोर्डो, विभागों के कार्यालय, प्रतिष्ठित भवनों एवं बहुमंजिली इमारतों की सफाई के कार्य का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इसके समर्थन में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
20. निविदाओं को सामने खुलवाने की शर्त के अलावा निविदादाताओं द्वारा दी गई किसी अन्य प्रकार की शर्ते स्वीकार नहीं होगी। किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार प्रभारी सहायक निदेशक, म.शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान, जयपुर को होगा।
21. सफल निविदादाता को ठेका स्वीकृति हो जाने के दिनांक से सात दिन के अंदर संस्थान के साथ नियमानुसार राशि रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निविदा फार्म में वर्णित कार्य के विवरण एवं शर्तो सहित द्विपक्षीय अनुबंध (**Agreement**) करना होगा।

लगातार.....3

22. सफल निविदादाता उपयुक्त कार्य/ठेका अन्य किसी दूसरे व्यक्ति/संस्था को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सबलेट नहीं कर सकेगा। सफाई कार्य का ठेका दिनांक 01.01.2019 से एक वर्ष हेतु दिया जायेगा। उक्त अवधि के दौरान सफाई कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने पर प्रभारी, संस्थान को ठेका अवधि से पूर्व ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं बकाया आदि की समस्त वसूली अनुबंधित ठेकेदार की प्रतिभूति राशि में से या बकाया बिलों में से या कानूनन कार्यवाही द्वारा की जा सकेगी, लेकिन नये ठेके की व्यवस्था होने तक अस्थाई तौर पर सफाई कार्य को पूर्व शर्तो एवं दरों के अनुसार करना होगा।
23. प्रभारी संस्थान द्वारा सफाई का कार्य एक वर्ष के दौरान संतोषजनक पाये जाने पर तथा सफाई ठेकेदार की स्वीकृति के आधार पर सफाई का ठेका पूर्व शर्तो एवं दरों पर एक वर्ष के पश्चात् भी बढाया जा सकता है।
24. यदि किसी सफाई कर्मचारी की कार्य करते समय किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/ मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। संस्थान इसके लिये किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
25. ठेके की अवधि में, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद पर प्रभारी, म. शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।
26. उर्पयुक्त वर्णित किसी बिन्दु/कार्य के क्रियान्वयन में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से असफल रहने की स्थिति में ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली निर्धारित मासिक दर के, 5 प्रतिशत प्रतिदिन क्षति के रूप में राशि वसूल की जा सकेगी।
27. इस संदर्भ में प्रभारी, म. शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
28. किसी भी पक्ष (निविदा आमंत्रितकर्ता या ठेकेदार) द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जा सकेगीं।
29. आत्यायिक स्थिति जैसे कि आग लगने आदि परिस्थिति में ठेकेदार संबधित विभाग से समन्वय करेगा।
30. उपयोग में ली जाने वाली सामग्री मशीन/साधन आदि को संस्थान में लाने व ले जाने का भार निविदादाता को वहन करना होगा।
31. सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों के लिये संस्थान परिसर में नहाना एवं कपडे आदि धोना वर्जित होगा।
32. प्रत्येक निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व संस्थान परिसर का निरीक्षण कर लेना चाहिए।
33. संस्थान में गठित ''सफाई समिति'' द्वारा समय–समय पर निरीक्षण के दौरान दिये जाने वाले सफाई संबधी निर्देशों की पालना करनी होगी।
34. निर्धारित आयकर राशि की कटौती नियमानुसार प्रतिमाह की जायेगी। तत्पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।
35. संस्थान परिसर मे कार्य करने वाले सफाई कर्मचारी निर्धारित ड्रेस में ही कार्य करेंगे। सफल निविदादाता को ड्रेस का रंग निर्धारित कर संस्थान को सूचित करना होगा।
36. ठेकेदार एवं सफाई करने वाले कर्मचाारियों के विवाद में संस्थान किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं होगा।
37. निविदादाता फर्म को श्रम ठेका अधिनियम के अधीन (रेगुलेशन एण्ड एबालीशन एक्ट 1970 के अनुसार) पंजीकृत होना चाहिए एवं निविदादाता को समस्त नियम, अधिनियम जो जयपुर राजस्थान में लागू है का पालन करना होगा।

लगातार.....4

38. सफल निविदादाता के कर्मचारी ई.एस.आई से आच्छादित (Covered) होने चाहिए। ई.एस.आई का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना है तथा कर्मचारी को न्यूनतम वेजेज ऐक्ट के अनुसार भुगतान करना होगा। जब भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई जाती है तथा यदि वह राशि संस्थान द्वारा वर्तमान में दिये जा रहे पारिश्रमिक रू. 16,000/– प्रति कर्मचारी प्रतिमाह से अधिक होती है तो संस्थान द्वारा इसकी पालना करते हुए भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही संस्थान से ई.एस.आई एवं जीएसटी के पेटे ली गई राशि सम्बन्धित विभागों में जमा कराने की सम्पूर्णतः जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी एवं इस सम्बन्ध में संस्थान द्वारा प्रमाण मांगने पर प्रस्तुत करना होगा। इस संबन्ध में किसी भी कर्मचारी अथवा अन्य किसी से कोई शिकायत प्राप्त होने पर उक्त पेटे दी गई राशि, प्रतिभूति राशि एवं बकाया बिलों से काटने का अधिकार संस्थान को होगा। ठेकेदार द्वारा सफाई श्रमिकों को वेतन चैक से या श्रमिक के बैंक खाते में जमा करने के द्वारा ही करना होगा, इस सम्बंध में संस्थान द्वारा प्रमाण मांगने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा ठेका रद्द करने का अधिकार संस्थान को होगा।
39. The contractor at all times should indemnify the RARIED, Jaipur against all claims. Damages of compensation under provisions of payment of Wages Act Compensation Act, 1923, Industrial disputes act or any modification there of or any other law relating thereto and rules are made here under from time to time pertaining to labour, MSRARIED, Jaipur will not own any responsibility in this regard.
40. सफल निविदादाता को प्रत्येक कर्मचारी का नाम, फोटोग्राफ एवं फोटो आई.डी.प्रूफ (पहचान पत्र) तथा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र संस्थान द्वारा गठित सफाई समिति को जमा करवाना होगा एवं किसी भी सफाई कर्मी की अनुपस्थिति के दिन, उसकी एवज में कार्य करने वाले सफाई श्रमिक का नाम उसकी फोटोग्राफ तथा प्रमाण सहित निवास का पता इत्यादि भी सफाई समिति को उपलब्ध कराना होगा।
41. सफल निविदा दाता को सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान का समुचित सफाई कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए सफाई कर्मियों की कोई समस्या न हो।
42. सम्बन्धित एजेन्सी/फर्म का अनुबन्ध बिना कोई कारण बताएं, किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्रभारी, संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

19.11.18

(डॉ. के.के. सिंह)
प्रभारी, सहायक निदेशक